रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 1994/अग्रहायण 18, 1916
No. 207] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 1994/AGRAHAYANA 18, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 260/(पी.एन.)/92-97

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1994

फाइल स. आई.पी./4/5(417)/92-97 भाग :– निर्यात एवं आयात नीति 1992-97, संशोधित के पैरा 16 में दी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, प्रक्रिया, पुस्तक, 1992-97 (संशोधित संस्करण : मार्च 1994) में नीचे दिए अनुसार संशोधित करते हैं :–

परिशिष्ट 35 में, शीर्षक "प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 217 ए(घ), 226(ख) और 202 ए में आयात के लिए उन मदों की सूची जो विशिष्ट आयात लाइसेंस के लिए अनुमित है ।" में, क्रम स. 20 पर दी गई मद "आउटबोर्ड मोटर्स" को हटा दिया जाए ।

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

डा. पी.एन. सजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 260|(PN)|92—97

New Delhi, the 9th December, 1994

F. No. IPC|4|5 (417)|92—97(Pt.).—In exercise of powers conferred under paragraph 16 of the Export and Import Policy, 1992—97, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Handbook of Procedures, 1992—97 (Revised Edition : March, 1994) :—

In Appendix XXXV, under the heading "LIST OF ITEMS PERMISSIBLE FOR IMPORT AGAINST SPECIAL IMPORT LICENCE IN TERMS OF PARAGRAPHS 217A(d), 226(b) AND 202A OF THE HANDBOOK OF PROCEDURES.", the item appearing at S. No. 20 "Outboard Motors." shall be deleted.

2. This issues in public interest.

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994